

१/३

1955



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

S 337293



विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. | गृहि का प्रकार | : रुपि |
| 2. | पक्षना | : विजनार |
| 3. | ग्राम | : फरीदा |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण
(संश्लि सं०) | : गृहि लसटा संख्या-691 व 646 |



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


5337294

13/11/2017

13/11/2017

-2-

5.	मानव की इकाई	: हेक्टेअर
6.	सिलीकन एम्पलि का क्षेत्रफल	: 0.029 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	: सुल्तानपुर रोड व अमर शक्ति फस से लगभग 500 मीटर से अधिक
8.	एम्पलि का प्रकार	: कृषि
9.	पेड़ों का सुलावन	: कुछ नहीं
10.	बॉन्डिंग/लूआ/अना	: कुछ भी नहीं
11.	प्रतिफल की वनराशि	: ₹0 1,07,850/-
12.	गलियार	: ₹0 5,25,000/-
13.	रकम	: ₹0 40,950/-


भारत गणराज्य


सि. न. सुनेल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S. 337295

13/09/2017

पीछड़ी

संख्या नं-697

पुरुब : असरा संख्या-665
पश्चिम : असरा संख्या-665
ऊपर : असरा संख्या-665
दक्षिण : असरा संख्या-665

संख्या नं-646

पूरुब : असरा संख्या-645
पश्चिम : असरा संख्या-644
ऊपर : असरा संख्या-644
दक्षिण : असरा संख्या-627

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 268877

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

जिल्ला का विवरण

जिला का विवरण

महबूब पुरी ग्राम, निवाली-
ग्राम-रानीखेड़ा, मजरा-
बरीना, परगना- निजनीर,
तहसील न खिला-जयगढ़।
व्यवसाय - कृषि

सुरेन्द्र कुमार पुत्र राजा राम
निवाली- ग्राम-पट्टे मिट्टी,
कलीली, गुरुवक्शाण्ड,
जिला-रायबरेली।
व्यवसाय-कृषि

...

...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख महेश्वर मुंजी प्रभू, निवासी-ग्राम-
रानीखोड़ा, मजरा-बरीना, पटगना- बिलौर, तहसील व
जिला-सखारऊ, जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है,

रुपय

सुरेन्द्र कुमार पुत्र राजा राम निवासी- ग्राम-ठूटे गिडी,
कलीली, गुरुबसशमंज, जिला-सखारली, जिन्हें आगे सेता
कहा गया है, को नव्य निष्पादित किया गया।



दि. १. १०. ११

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 FEB 2011

उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रणाली

उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रणाली

राज नि: विज्ञेता कृषि भूमि खाता संख्या-00214 असरा संख्या-646 रकबा 0.0200, खाता संख्या-00215 असरा संख्या-691 रकबा 0.0380 का 1/2 भाग चानि रकबा 0.019 हेक्टेअर, कुल दो किला कुल रकबा 0.039 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-बरीना, परगना रिजनीर, तहसील व जिला लखनऊ की मालिक, कामिल व स्वामित है, जो विज्ञेता को परास्वाम प्रदा हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित पटवार्षिक खतीनी फसली वर्ष 1413 से 1418 के खाता खतीनी क्रम संख्या-00214 व

15 FEB 2011

क. न. कुंज

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5 327254

1 1 19 2017

-7-

00215 के अनुसार विवेका का नाम अमल दत्तमद ही चुका है। उक्त आराजी आज विवेका के कर्ज व इक्ल मालिकाना में मौजूद है और जो कही विक्रय, छिन्न, नगणना, कुर्बी, व नगणना आदि से प्रसिद्ध नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति मालिकार है। अब उक्त उक्त सुद विवेका के उसी आराजी रकबा उपरोक्त की पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व रक के लूट लोच व सम्झौते बिना किसी




भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹ 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 357282

25 FEB 1977

- 8 -


क्याव को, बरषका मुअलिम लुड 1,00,000/- (रुपयका एक लाख
लाक हजार आठ शी नबे मात्र) में जेता उपरोक्त को बय बाटई
किया और पूज दिवस पाठशाला कल तहरीद इतनावेक राजा
मैता उपरोक्त से नीचे बिले मले निवृत्त के अनुसाट प्राप्त
कलके बाया व इखल नालिकाना आराजी अयशुदा पर आज से
बसूरी कल दिना। अब दिवसेता व बरिसान बिलेता को कइई
हक व दावा निवृत्त आराजी अयशुदा व बिलेक धनराशि के
शेता से बरकी नहीं रहे, अगर कोई शकस दावा करे तो वह


D. S. 1354


D. S. 1354

भारतीय गैर न्यायिक
 भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED
 RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M-443109

10 FEB 2007


बिल्कुल नाजायज होंगे, और अगर आरक्षी बख़्तुदा पूर्ण अथवा
 लक्ष्यता कोई अंश गैला के त्यागिता एवं अधिकर्ता से निष्कल
 जावे या खर्रता न मिले या गली विक्रय, हिना, ऋणमार, कुर्ता
 व समतात आदि से यकित्त गाची जाती है तो ऐसी क्रियाति में
 होला उसे अन्वियत होला कि वह आला कुल विनाय धनराशि
 मय हजा-हजा व नुकसान के सब विक्रोता व वाहिनात चिखेला
 से व विक्रोता की अन्य समति गल व अचल से चरिये



Handwritten signature or initials in Hindi script.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



न्यायालय द्वारा वक्त लेने, इन्हें विज्ञप्ति व वास्तुगत विज्ञप्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब जेना उम्मीदवार को पूरा अधिकार है कि वह विज्ञप्ति आराजी के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकारी अफिसरों में अपने नाम दाखिल-खरिज करा लेंगे।

आराजी उपरोक्त में खोती होती है, आराजी उपरोक्त में पैर, खुबबेल, कुआं व हमारत आदि नहीं है। आराजी उम्मीदवार को 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

NR 166758

- 1 -

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जगदीश पाग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम खीना, परगना-बिजनौर के अधिनगरीय क्षेत्र के सामान्य जग के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम खीना के शहर स्थित है, जिसकी आवश्यक भूमि की बजारत कीमत 15000/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है, जिसको अनुसार विहीत रकमा 0.009 हेक्टेअर अर्थात 390.00 वर्गमीटर की मालिकत रु 5,85,000/- होती

11/11/2024

11/11/24



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 105769

- 10 -

है जो कि विस्तार मूल्य से अधिक है। अतः नियमानुसार
 मामिलत पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क रु० 40,950/- के अदा
 किये जा रहे है।

जनरल आराजी मुख्य मार्ग राष्ट्रीय पथ से लगभग 500
 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।



वि. न. गुप्ता



4R 165270
 1 OF 10
 कानून, पंजाब
 भारतीय न्यायिक प्रणाली
 1952, 1953

- 13 -

विवेका व ज्ञान दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।
 उनके आराजी किसी योजना में किसी सरकारी व अर्ध
 सरकारी संस्था द्वारा अधिकृत नहीं है।

वह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्द "विवेका" एवं
 "ज्ञान" में, जब तक वे प्रयोग के प्रतिष्ठान न हों, उनके
 विभिन्न प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।



[Handwritten signature or name in Devanagari script, located at the bottom right of the page.]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 403567

-14-

विकल्प भुगतान

कुल विकल्प मूल्य रू० 1,07,890/- (रुपया एक लाख सात हजार आठ सौ नब्बे मात्र), बनविले रकम अं०-293740 दिनांकित 24.02.2011, फजाय नेशनल बैंक, शाखा- हल्द्वारी, लखनऊ, के माध्यम से विकल्प ने जेला से प्राप्त किये।

लिहाजा यह दस्तावेज विकल्प ने अपनी खुशी व स्वाभुमती से तुरंत अंश व सम्पन्नकृत बिना किसी व्याज के,

जैसा उपरोक्त को पक्ष में लिख दिया ताकि सदा रहे और
बकल जलना पर काम आये।

अतः आज तमरा पक्षां ने इस विषय विनेत्य पर
अपने-अपने हस्ताक्षर किये हुये निम्नादि लिखा।


नोट: पृष्ठ संख्या-14 पर एक संख्या काले पेन से लिखी है।


दिनांक:-24.02.2011

लखनऊ

गवाहान:-

1. 
राम चंद्रा
जिला मजिस्ट्रेट
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

 
मिहेता

2. 
राम चंद्रा
जिला मजिस्ट्रेट
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

 
मिहेता

राईफकर्ता:

(राम चंद्रा)

मसविदागर्वा:

(मोहम्मद हमरान)
एडवोकेट
राईकोर्ट, लखनऊ

River


Registration No.: 2810

Year: 2011

Dist No.: 1

0101 0024

29
सर्वोच्च न्यायालय
कोर्ट




रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु
किंग्स प्रिन्टर्स

बिड़ला का नाम व पता:- महर्षि श्री एम्. निरंजी- ग्राम-रानीखेड़ा तहसील-
बरीग, परगना-बिड़नौर, तहसील व जिला-जयपुर।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




कैला का नाम व पता:- सुरेंद्र कुमार पुत्र राजा राम निवासी- रामपुर, तहसील-
कलौली, गुरुनानकपुर, जिला-रायबरेली।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



कैला के हस्ताक्षर

(Handwritten signature and stamp)

कक्षा संख्या — 691, 696

नाम — अर्चना

दिनांक — 12/04/2023

विषय — अंग्रेजी



Handwritten signature or name at the bottom right of the page, possibly indicating the student's name or the teacher's mark.

आज दिनांक 24/02/2011 को

पृष्ठ सं. 1 क्रमांक 12477

पृष्ठ सं. 199 व 232 पर पत्रांक 3805

लिखित किया गया।

सहायक आयुक्ता के कार्यालय



पी के शिंदे

उप निबंधक (अधम)

लखनऊ

24/2/2011

